।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 235 /12-1 **दिनांक, गोपेश्वर,** **जुलाई** 19 /2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
थराली।

विषयः– **जनपद चमोली के अन्तर्गत नारायणबगड़ –किमोली मोटर मार्ग के किमी0 8 से नैणी मल्ली मुस्याउड़ियार–बूंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.394 है0 आरक्षित , 0.925 है0 सिविल भूमि कुल 4.346 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। प्र0सं0 FP/UK/ROAD/46968/2020**

संदर्भः– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी के पत्रांक 62/12–1 दिनांक 08.07.2024

महोदय,

वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी के उपरोक्त संदर्भित पत्र **(संलग्न)** से प्रस्ताव में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को वापस लौटाया गया है जो निम्नानुसार हैंः–

1. प्रस्ताव में 0–10 व्यास वर्ग के वृक्षों की संख्या अंकित नहीं की गई है। 0–10 व्यास वर्ग के वृक्षों की संख्या अंकित की जाए। इस सम्बन्ध में आप वन क्षेत्राधिकारी पश्चिम पिण्डर रेंज नारायणबगड़ एवं राजस्व उपनिरीक्षक से समन्वय स्थापित कर 0–10 व्यास वर्ग के वृक्षों की पुनः गणना करते हुए संशोधित वृक्षों की सूची, मूल्यांकन सूची एवं प्रभावित वृक्षों का सारांश प्रस्ताव में संलग्न करें।
2. प्रस्ताव की तीन प्रतियों में से दो प्रतियों में परियोजना के लम्बाई–चौड़ाई वाले प्रपत्र में कुल क्षेत्रफल 5.303 है0 तथा एक प्रति में 4.413 है0 अंकित किया गया है के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।
3. प्रस्ताव की 3 प्रतियों में से 02 प्रतियों में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट तथा अधिकांशतः परियोजना के नाम में सिविल भूमि, आरक्षित भूमि कितनी प्रभावित हो रही है का उल्लेख नहीं किया गया है।
4. प्रस्ताव के लैण्ड –शैड्यूल में आरक्षित, सिविल, वन पंचायत भूमि में मक डिस्पोजल के लियें कितना क्षेत्रफल लिया गया है स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

अतः विषयांकित प्रस्ताव मूल में संलग्न कर इस आशय से लौटाया जा रहा है कि उपरोक्त कमियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव की 5 हार्ड प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– प्रस्ताव की 5 प्रति ।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक 235 /12-1 / **दिनांकित।**

प्रतिलिपिकः– वन क्षेत्राधिकारी पश्चिम पिण्डर रेंज नारायणबगड को उपरोक्तानुसार इस आशय से प्रेषित कि अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 थराली से सम्पर्क स्थापित कर प्रस्तावित संरेखण में प्रभावित होने वाले 0–10 व्यास वर्ग के वृक्षों की गणना करते हुए प्रभावित होने वाले वृक्षों की संशोधित सूची, मूल्यांकन सूची एवं प्रभावित वृक्षों का सारांश अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 थराली को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

O/c